

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
पीठासीन अधिकारी-पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 349/2022  
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर- 2022/.....454.

**प्रार्थी**  
पंजाब नेशनल बैंक एक निगमित निकाय है। जिसका प्रधान कार्यालय प्लॉट नं. 04, सेक्टर 10 द्वारका, न्यू दिल्ली-110075 में स्थित व कार्यरत है जिसकी एक सर्किल शस्त्र ऑफिस पंजाब नेशनल बैंक डी-8205 बीकानेर राजस्थान में स्थित एवं कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राजेन्द्र गहलोत है।

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

- 1- M/s Harsh Marketing  
Address- Kishan Garh Road, Parbatsar, District Nagaur 341512
- 2- Mr. Anil Kumar Purohit  
Address- Ward No. 15, Rajpath Colony, Parbatsar District Nagaur 341512
- 3- Mr. Ashok Kumar Purohit  
Address- Ward No. 15, Parik Sadan, Rajpath Colony, Tehsil Ke Samne, Parbatsar District Nagaur 341512

**आदेश**

दिनांक: 15-11-2022

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को जरिये खाता संख्या 1594109300000022 (OD-SAMPATTI GENERAL) अधीन ऋण रुपये 15,00,000/- (अक्षरे पन्द्रह लाख रुपये मात्र) एवं खाता संख्या 15947121000149 (TL-GRNTD EMER CREDIT LINE) अधीन ऋण रुपये 2,96,000/- (अक्षरे दो लाख छियानवे हजार रुपये) इस प्रकार उक्त वर्णित दोनो लोन खातों में कुल ऋण रुपये 17,96,000/- (अक्षरे सत्रह लाख छियानवे हजार रुपये) का ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति- श्री अशोक कुमार पुरोहित की साम्यिक बंधक अधीन एक अचल आवासीय सम्पत्ति जो कि पट्टा संख्या 248, वार्ड नं. 15 (ओल्ड), वार्ड नं. 01 (न्यू) खसरा नम्बर 119, परबतसर, नागौर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल माप लगभग 472.88 वर्ग गज है। जिसकी चारो दिशाएं- उत्तर में-ब्रहमोहन व्यास, दक्षिण में-प्लॉट नं. 18 और रास्ता 12 फीट, पूर्व में-रास्ता 12 फीट, पश्चिम में-मुरलीधर मंत्री की भूमि, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 13.04.2022 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में खाता संख्या 1594109300000022 में बकाया रुपये 15,13,175.96/- (अक्षरे पन्द्रह लाख तेरह हजार एक सौ पिचहत्तर रुपये एवं छियानवे पैसा मात्र) एवं खाता संख्या 15947121000149 में बकाया रुपये 2,06,104.11/- (अक्षरे दो लाख छः हजार एक सौ चार रुपये एवं ग्यारह पैसा) इस प्रकार उक्त वर्णित दोनो लोन खातों में कुल बकाया रुपये 17,19,280.07/-



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

(अक्षरे सत्रह लाख उन्नीस हजार दो सौ अस्सी रूपये एवं सात पैसा) दिनांक 31.05.2022 तक एवं आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 13.06.2022 को रजिस्टर्ड दिये गये परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि खाता संख्या 1594109300000022 में बकाया रूपये 15,13,175.96/- (अक्षरे पन्द्रह लाख तेरह हजार एक सौ पिचहत्तर रूपये एवं छियानवे पैसा मात्र) एवं खाता संख्या 15947121000149 में बकाया रूपये 2,06,104.11/- (अक्षरे दो लाख छः हजार एक सौ चार रूपये एवं ग्यारह पैसा) इस प्रकार उक्त वर्णित दोनो लोन खातों में कुल बकाया रूपये 17,19,280.07/- (अक्षरे सत्रह लाख उन्नीस हजार दो सौ अस्सी रूपये एवं सात पैसा) दिनांक 31.05.2022 तक एवं आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- श्री अशोक कुमार पुरोहित की साम्यिक बंधक अधीन एक अचल आवासीय सम्पत्ति जो कि पट्टा संख्या 248, वार्ड नं. 15 (ओल्ड), वार्ड नं. 01 (न्यू) खसरा नम्बर 119, परबतसर, नागौर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल माप लगभग 472.88 वर्ग गज है। जिसकी चारो दिशाएं- उत्तर में-ब्रहमोहन व्यास, दक्षिण में-प्लॉट नं. 18 और रास्ता 12 फीट, पूर्व में-रास्ता 12 फीट, पश्चिम में-मुरलीधर मंत्री की भूमि, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से जरिये खाता संख्या 1594109300000022 (OD-SAMPATTI GENERAL) अधीन ऋण रूपये 15,00,000/- (अक्षरे पन्द्रह लाख रूपये मात्र) एवं खाता संख्या 15947121000149 (TL-GRNTD EMER CREDIT LINE) अधीन ऋण रूपये 2,96,000/- (अक्षरे दो लाख छियानवे हजार रूपये) इस प्रकार उक्त वर्णित दोनो लोन खातों में कुल ऋण रूपये 17,96,000/- (अक्षरे सत्रह लाख छियानवे हजार रूपये) का ऋण प्राप्त किया था। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट



जिला मजिस्ट्रेट  
- नागौर

प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर - (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति- श्री अशोक कुमार पुरोहित की साम्यिक बंधक अधीन एक अचल आवासीय सम्पत्ति जो कि पट्टा संख्या 248, वार्ड नं. 15 (ओल्ड), वार्ड नं. 01 (न्यू) खसरा नम्बर 119, परबतसर, नागौर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल माप लगभग 472.88 वर्ग गज है। जिसकी चारों दिशाएं- उत्तर में-ब्रहमोहन व्यास, दक्षिण में-प्लॉट नं. 18 और रास्ता 12 फीट, पूर्व में-रास्ता 12 फीट, पश्चिम में-मुरलीधर मंत्री की भूमि, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(पीयूष सभारिया)  
जिला क्लर्क एवं मजिस्ट्रेट  
नागौर